न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 135/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/328

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति रानी स्टेशन		1. सरपंच ग्राम पंचायत ईटन्दरा मेडतियान 2. विक्रम कुमार पुत्र बाबुलाल जाति सरगरा निवासी सेदरिया

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजूराम हरियाल।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28/04/2025

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत ईटन्दरा मेडतियान द्वारा संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.11.2002 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी विक्रम कुमार पुत्र बाबुलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5680 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। दौराने बहस प्रार्थी अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी ने अपनी निगरानी मीमों में यह अंकित किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया जबकि मौके पर कोई मकान नहीं बना हुआ है। उक्त पट्टा रास्ते की भूमि को शामिल करते हुये जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टा जिस संकल्प संख्या के द्वारा जारी किया गया है उस संकल्प में पट्टा जारी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के दौरान अप्रार्थी नाबालिग था एवं उक्त पट्टे की चतुर्थफलकीय दिशाऐं व माप को मौके की स्थिति से मिलान नहीं होता है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत ने कोई मिसल कायम नहीं की, केवल पट्टा बुक में कार्बन प्रतियों से भरा जाकर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों की पालना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी आराजी पूर्णतया आबादी भूमि में स्थित है तथा मौके पर अप्रार्थी का मकान बना हुआ है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय मिसल कायम की, भूमि का मौका निरीक्षण किया गया, आपत्ति आमंत्रित की गयी एवं नियत समय में कोई आपत्ति नहीं आने की दशा में गवाहों के बयान लिये जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली